

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक
27 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 01. श्री सूर्यपाल गंगवार | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 02. डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 03. श्री इन्द्रजीत सिंह | नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 04. श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 05. श्री महेश कुमार | परियोजना प्रबन्धक, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम। |
| 06. श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद। |
| 07. श्रीमती कंचन सुबोध | संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 08. श्री विशाल भारती | सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 09. श्री पी0एन0 सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 10. श्री पुष्कर शुक्ला | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 11. श्री राम कृष्ण यादव | पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 12. श्री राघवराम तिवारी | पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. श्री संजय सिंह राठौर | पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|----------------------------|---|
| 14. श्री पवन कुमार गंगवार | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री दीपक सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. श्री अवधेश तिवारी | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. श्री नितिन मिश्र | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 19. श्री अमित राठौर | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 20. श्री देवांश त्रिवेदी | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
175/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
175/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09.05.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये:- विषय संख्या-5 मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये

जागरूक

le

		गये कि तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ से भी इस आशय की आख्या प्राप्त कर ली जाय कि पूर्व में भूमि ऊसर में दर्ज थी, तो किस प्रकार खातेदार को प्राप्त हुई। पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। - विषय संख्या-6 विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या-4/385-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने विषयक प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। - विषय संख्या-12 उ0प्र0 शासन की हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों के साथ आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में बैठक आहूत कराई जाय।
175/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
175/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार (1-लखनऊ महानगर के अन्तर्गत सरोजनी नगर विकास खण्ड, काकोरी विकास खण्ड, मलिहाबाद विकास खण्ड, बख्शी का तालाब विकास खण्ड, गोसाईगंज विकास खण्ड व मोहनलालगंज विकास खण्ड के समस्त क्षेत्र एवं जनपद लखनऊ की नगर पंचायतें, 2-यूपी सीडी/लीडा के अन्तर्गत जनपद- लखनऊ का क्षेत्र, 3-जनपद बाराबंकी के निंदूरा विकास खण्ड, देवा विकास खण्ड, बंकी विकास खण्ड व नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सम्पूर्ण क्षेत्र)

प्राधिकृत

L

		दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में विस्तारित क्षेत्र के साथ यदि अनुमोदन के बाद महायोजना बनायी जायेगी, तो उसमें लैण्डयूज पैटर्न का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा।
175/5	उ०प्र० ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी०ओ०डी० जोन्स का चिन्हांकन एवं टी०ओ०डी० जोन्स का जोनल प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उ०प्र० ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी०ओ०डी० जोन्स का चिन्हांकन एवं टी०ओ०डी० जोन्स का जोनल प्लान यूपी मेट्रो के माध्यम से तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
175/6	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2011/2016) में प्राविधानित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति हेतु न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2011/2016) में प्राविधानित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति हेतु न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार सभी प्रकार के होटल, व्यवसायिक काम्पलेक्स, कोचिंग सेन्टर, हॉस्पिटल / नर्सिंग होम व विद्यालय आदि हेतु अग्निशमन की अनापत्ति आवश्यक होगी। साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु आवेदन के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/स्वीकृत मानचित्रों को यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रेषित किया जायेगा, तो उसका परीक्षण करते हुए उन्हें आख्या प्रेषित की जायेगी।
175/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्यिक सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु सलाहकार फर्म के चयन का प्रस्ताव।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
175/8	Contractor Registration and Tender Evaluation Software (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन हेतु (CRATES) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा Contractor Registration and Tender Evaluation Software (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु (CRATES) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने विषयक संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि यूपी डेस्को के साथ हुए उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों का आयाम लोक निर्माण विभाग की अपेक्षाकृत कम है, अतः लोक निर्माण विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रिम

प्राधिकृत

h

		कार्यवाही की जाय। इसमें जो भी व्यय आयेगा, उसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
175/9	मोहान रोड आवासीय योजना के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण एवं ओमेक्स लिमिटेड के मध्य निष्पादित कन्शेसन अनुबन्ध दिनांक 06.01.2022 को निरस्त किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण उक्त योजना को शीघ्र स्वयं विकसित करेंगा। साथ ही यह निर्देश दिये गये कि ओमेक्स लिमिटेड के विरुद्ध कोई देयता हो, तो उसकी रिकवरी भी सिक्योरिटी धनराशि से करते हुए अवशेष धनराशि वापस की जाय।
175/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बाण्ड जारी किये जाने हेतु ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संसाधन बढ़ाये जाने के लिए बाण्ड जारी किये जाने हेतु ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बिड के आधार पर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया।
175/11	ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं हेतु प्रोजेक्ट आइडेन्टीफिकेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट, फुल फिजीबिलिटी स्टडी, प्रोक्योरमेन्ट रिपोर्ट तैयार करने, योजना के फाइनेन्सिली वाइबिल होने, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विक्रय किये जाने तथा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करने, उपलब्ध आर्थिक संसाधन को समुचित ढंग से निवेश करते हुए उसके सापेक्ष अधिकतम आउटपुट प्राप्त किये जाने, विक्रय प्रोत्साहन बढ़ाये जाने, आय के संसाधन हेतु कार्य-योजना तैयार कराने तथा निवेशकों के मध्य प्राधिकरण की योजनाओं की परिसम्पत्तियों को बिक्री किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने, अनिस्तारित सम्पत्तियों की बिक्री हेतु मार्केट रेट का अध्ययन, अन्य सम्पत्तियों से तुलना एवं बिक्री योग्य बनाने से सम्बन्धित तथा भविष्य में आने वाली सम्पत्तियों के बिक्री हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार किये जाने के उद्देश्य से ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु ईओआईओ (Expression of Interest) आमंत्रित कर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया।
175/12	उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण, प्रभार, निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2022 अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण, प्रभार, निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली -2022 अवलोकित/अंगीकृत की गई।

अंगीकृत

h

175/13	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल, 2021 से मई, 2021 तक की समयावधि को शून्य मानकर गणना किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के दृष्टिगत 01 अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि को शून्य मानते हुए गणना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि आवंटी द्वारा इस अवधि की देयता दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक जमा कर दी गई हो।
175/14	बसंतकुंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण के ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा आवंटन पत्र में देय तिथि (DUE DATE) के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान किया गया है, को 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
175/15	उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2022 अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2022 अवलोकित/अंगीकृत की गई।
175/16	प्राधिकरण की व्यवसायिक, आवासीय सम्पत्तियों के आवंटियों से लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।	
निर्णय	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों में लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया:-	
	वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ' का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 15% लिया जायेगा। प्रस्तर-6 किशतों में ब्याज पर एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किशतें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्ल्यू0एस0 हेतु 9%, एल0आई0जी0 हेतु 10% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 11% तथा व्यवसायिक की 13% से किशतें निर्धारित की जायेगी परन्तु रिजर्व बैंक की दरों को देखते हुए समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	एतद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ' का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 12% लिया जायेगा। प्रस्तर-6 किशतों में ब्याज पर एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किशतें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्ल्यू0एस0 हेतु 8%, एल0आई0जी0 हेतु 8.50% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 9% तथा व्यवसायिक की 11.50% से किशतें निर्धारित की जायेगी परन्तु ऋणदायी संस्थाओं की दरों को दृष्टिगत हुए समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।
	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ' का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 12% लिया जायेगा। प्रस्तर-6 किशतों में ब्याज पर एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किशतें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्ल्यू0एस0 हेतु 7%, एल0आई0जी0 हेतु 8% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 9% तथा व्यवसायिक की 11% से किशतें निर्धारित की जायेगी परन्तु ऋणदायी संस्थाओं की दरों को दृष्टिगत हुए समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	

Handwritten signature

Handwritten mark

	<u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u> समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 9, 10, 11 व 13 में) 3% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।	<u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u> समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 8%, 8.50%, 9% व 11.50% में) 2% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।	<u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u> समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 7%, 8%, 9% व 11% में) 2% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।
175/17	प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नवत् अनुमोदित किया गया:- 1. 45 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 6% की छूट। 2. 60 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 5% की छूट। 3. 75 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 4% की छूट। 4. 90 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 3% की छूट। साथ ही किश्तों में भुगतान किये जाने की अवधि को बढ़ाकर 02 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।	
175/18	सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्टियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु 3.45 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्टियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु लखनऊ मेट्रो हेतु आरक्षित भूमि में से 3.45 एकड़ भूमि दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
175/19	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयावधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	
175/20	लखनऊ विकास प्राधिकरण में 16 वर्ष से अधिक पुराने 11 अद्द अम्बेस्डर पेट्रोल वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	

अंगिका

k

	नीलामी कर बेचे जाने की अनुमति के साथ-साथ निष्प्रयोज्य हो रहे वाहनों के सापेक्ष नये वाहन वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत तीन नये वाहन (इनोवा क्रिस्टा-पेट्रोल) शीघ्र क्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	
175/21	लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:- 1. किसी चूक अथवा विवाद के कारण पूर्व से आवंटित भूमि/भूखण्ड का समायोजन भूखण्ड में नहीं किया जायेगा। 2. यदि प्राधिकरण की किसी चूक अथवा विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति (भवन/भूखण्ड) का कब्जा प्राधिकरण नहीं दे पाता है, तो आवंटी की सहमति के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट को समायोजन के समय लागू मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जा सकेगा। 3. आवंटी के द्वारा जमा धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए समायोजित किये जाने वाले फ्लैट में समायोजित कर दी जायेगी। 4. यदि आवंटी भवन/भूखण्ड का पहले आओ, पहले पाओ योजनान्तर्गत फ्लैट में समायोजन नहीं चाहता है, तो उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए उसे वापस कर दिया जाय।
175/22	प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से 04 सेवानिवृत्त अमीन को रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से अमीन/लेखपाल/सर्वेयर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
175/23	नागेन्द्र मिश्रा, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।





175/24	स्व० श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, कनिष्ठ लिपिक की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
175/25	स्व० श्री दिलीप कुमार, चौकीदार की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 175/01	इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा लखनऊ में ग्राम-बाघामऊ पर प्रस्तुत पुनरीक्षित डी०पी०आर० मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 175/02	श्री ज्ञानेश्वर सिंह, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 175/03	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या—सीपी—89 व सीपी—90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पत्रावली पर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुपूरक 175/04	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष दो माह का अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:— - वर्तमान महायोजना 2031, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, उसके बाद अनाधिकृत रूप से बनाये गये समस्त होटलों, जिनमें सीलिंग आदेश निर्गत हो चुके हैं, उन पर सर्वप्रथम प्राथमिकता पर कार्यवाही। - अनाधिकृत रूप से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत निर्माणाधीन रो-हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही। - बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत अवैध रूप से कराई जा रही प्लाटिंगों के विरुद्ध कार्यवाही। - बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से निर्माणाधीन बड़े काम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेन्टर व अन्य बड़े व्यवसायिक संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही।





अनुपूरक 175/05	लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए०पी०आई० द्वारा छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग के अन्तर्गत निहित प्राविधानों अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि० की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम-बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए०पी०आई० द्वारा छोड़ी गई भूमि को नवीन आवासीय योजना संचालित किये जाने हेतु लैण्ड पूलिंग अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
---	--	---

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।



(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल०वि०प्रा०,
लखनऊ।



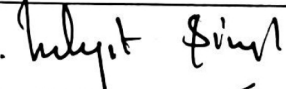
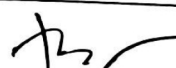
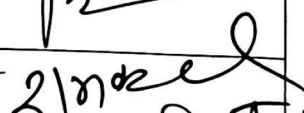
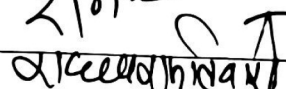
(डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०,
लखनऊ।

अनुमोदित



(डा० रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27.09.2022 में
प्रतिभाग करने वाले सदस्य**

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	सुश्री रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ।	9415005000	
3.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9761031924	
4.	प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
5.	श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	9878955674	
6.	श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, अपर निदेशक कोषागार प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	9452187924	
7.	श्री एस0के0 शर्मा, महाप्रबन्धक, गोमती प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। <i>Mallesh Kumar PM</i>	9473941836	
8.	श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	8195810111 ✓	
9.	श्री प्रमोद चन्, संयुक्त निदेशक उद्योग, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	73557191 30	
10.	डा0 कल्याण सिंह, उपनिदेशक, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।		
11.	श्री विशाल भारती, सहयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।	9415178016	
12.	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415425438	
13.	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464495	
14.	श्री राम कृष्ण यादव, पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415181067	
15.	श्री राघवराम तिवारी, पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9453818562	
16.	श्री संजय सिंह राठौर, पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9794500000	
17.	श्री मुसव्विर अली "मंशू", पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।		